

The Court of Additional Sessions Judge-II, Madhepura

S. Tr. No. - 05(A) of 2013

(CIS No-1769/2013)

12.03.2026

एक मात्र अभियुक्त भोला मंडल पे0 केशो मंडल अनुपस्थित हैं। अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त इस वाद मे लम्बे समय से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अजामानतीय अधिपत्र एवं प्रोसेस अंतर्गत धारा 82 एवं 83 द0प्र0स0 निर्गत किया जा चुका है, परन्तु आज तक अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो रहे है। न्यायालय द्वारा निर्गत प्रोसेस का तामिला पुलिस द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा सभी प्रक्रियाएं निर्गत होने के बावजूद अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त का निकट भविष्य में उपस्थित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। चूँकि वाद काफी पुराना है तथा आगे चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अभियुक्त भोला मंडल को फरार घोषित करते हुए अभिलेख का निषपादन किया जाता है। कार्यालय फरार अभियुक्त का नाम फिरारी पंजी मे दर्ज कर स्थायी वारंट निर्गत करें तथा नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार मे जमा करें।

लेखापित

Sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय,
मधेपुरा।